राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 26/2022

पितराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी ढाणी बोराणा तन् चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

1. दीपचन्द पुत्र गुला उर्फ गुल्लाराम
2. लक्ष्मण पुत्र गुल्ला उर्फ गुल्लाराम
3. सुरेश पुत्र गुल्ला उर्फ गुल्लाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बोराणा तन् चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं द राज0

..........अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक 04–05–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम चरणसिंह नगर पटवार हल्का नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के नया खाता सं. 69 के खसरा नंबर 428 रकबा 4.50 है., ख.नं. 430 रकबा 0.05 है., ख.नं. 432 रकबा 2.04 है. कुल किता 3 कुल रकबा 6.59 है. के विभाजन का दावा संख्या 218/2021 बउनवानी पितराम वगैरह बनाम चन्दगीराम वगैरह न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें अप्रार्थीगण को सम्मन तामील हो चुके हैं तथा उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आ चुके हैं। प्रार्थी के मकान खसरा नंबर 428 रकबा 4.50 है. में बने हुए है जिनमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी के मकान के पास ही बोरिंग है। प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि में से अपने 1/36 हिस्से की भूमि के खाते का कानूनी रूप से रास्ते सहित विभाजन कराए जाने के लिए दावा पेश करने के बाद अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी। अप्रार्थीगण खाता विभाजन करने में अवरोध पैदा करना चाहते हैं। इसलिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थ द्वारा खाता विभाजन कराने का दावा पेश करने के बाद प्रार्थी के मकान के पास थोड़ी दूर पर खसरा नंबर 428 में स्थित बोरिंग में विद्युत कनेक्शन अवैध रूप से लेने के लिए विद्युत विभाग में पत्रावली जमा कराने की प्रार्थी को जानकारी मिली है। उक्त बोरिंग अकेले अप्रार्थीगण की नहीं है बल्कि प्रार्थी की शामलाती है। अप्रार्थीगण ... विभाजन होने से ... शामलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बोरिंग में विद्युत कनेक्शन लेकर पानी का अकेले ही दोहन करना चाहते हैं जिसका खाता विभाजित होने से पूर्व अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। खाता विभाजन होने से पूर्व अभी यह निश्चित नहीं है कि किस खातेदार के विभाजन में किस खसरा नंबर की कितनी एवं किस दिशा की भूमि विभाजन में आयेगी, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण यदि अकेले ही शामलाती बोरिंग में विद्युत कनेक्शन ले लेते हैं एवं पानी का दोहन कर लेते हैं तो अप्रार्थीगण उक्त बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन लेने से अपना हक जताने लगेंगे जिसका खाता विभाजन होने से पूर्व अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थी का खाता विभाजन होने से पूर्व शामलाती बोरिंग खसरा नंबर 428 में अपने अकेले के नाम से विद्युत कनेक्शन लेने से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 428 में स्थित बोरिंग में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लेने की दिनांक 08.03.2022 को जानकारी हुई तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को विद्युत कनेक्शन भूमि का खाता विभाजन होने से पूर्व लेने मना किया। लेकिन अप्रार्थीगण विद्युत कनेक्शन लेने पर आमादा हे। अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम चरणसिंहनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 428 में स्थित बोरिंग पर कोई विद्युत कनेक्शन न तो अपने नाम से, ना ही किसी अन्य के नाम से लेवें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् जी में महज खाता विभाजन का वाद पेश किया है जिसमें सुनवाई की आगामी तारीख पेशी 06.06. 2022 नियत है। इस वाद में प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहा है। इस कारण बिना स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानून के अनुसार चलने योग्य नहीं है। इस कारण प्रारम्भिक रूप से ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नंबर 428 रकबा 4.50 है. में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा है। शेष हिस्सा अप्रार्थीगण व जमाबन्दी में दर्ज दिगर खातेदारान का है। इस खसरा नंबर में प्रार्थी की 1/36 हिस्से में मात्र 0.125 है. भूमि आती है जबकि सम्पूर्ण रकबा 4.50 है. है। जमाबन्दी में दर्ज संयुकत खातेदारान के पूर्वजों ने वर्षों पूर्व ही बाहमी बंटवारा कर लिया था और बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने अपने हिस्से में बोरिंग कर रखी है और उस पर विद्युत सम्बन्ध भी ले रखा हे। अप्रार्थीगण की बोरिंग से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से द्वेषता रखता है। इस कारण अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए अप्रार्थीगण की बोरिंग को शामलाती बोरिंग बता रहा है। अप्रार्थी सं. 1 दीपचन्द के मकान के मैनगेट के पास ही बोरिंग है जिसमें अप्रार्थीगण विद्युत लेना चाहता है। प्रार्थी को कोई कानूनन अधिकार नहीं है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये, कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि एक संयुक्त खातेदार दुसरे संयुक्त खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त न[illegible]कता यदि प्रार्थी झूंठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को पाबन्द कर[illegible]तो अप्रार्थीगण को ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन हीं किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 69 का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर वर्तमान में सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। मगर उक्त विवादित संयुक्त खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थीगण विद्युत कनेक्शन लेने पर आमादा है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का पाया जाता है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष का बनता है। अगर वादग्रस्त अविभाजित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन विद्युत कनेक्शन लेकर उसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी द्वारा नहीं करने एवं प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में बाधा कारित करते हैं तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। वाद में वर्णित खाता विभाजन अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16–03–2022 को ताफैसला वाद पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner